न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 690 / 20   दायरा दिनांक :—29.10.2020   निर्णय दिनांक :— 12.04.2021

1. सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द पुत्र श्री चिरंजीलाल (मृतक)
   1/1 नरेश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द
   1/2 सुरेश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द
   1/3 श्रीमती सुरजो पत्नी सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द जातियान जाट निवासी राठीवास तहसील व जिला गुरूग्राम हरियाणा।

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जिला अलवर, राजस्थान

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :— श्री गंगाराम पटेल— वकील वादीगण

—:निर्णयः—

दिनांक :— 12.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 710/0.44, 1798/962/1.33, 967/0.76, 703/0.51, 704/0.54, 707/0.39, 708/0.52, 959/0.15, 968/0.70, 969/0.44, 973/0.38, 972/0.43, 142/0.33, 712/0.27, 980/0.16, 982/0.09 है0 वाके ग्राम बासनी तहसील मुण्डावर में स्थित होकर सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द पुत्र चिरंजीलाल वादी का हिस्सा विवादित आराजी कहलायेगी। गांव में मिनवादी को परिवार वाले और आसपास के लोग सुभाषचन्द भी कहते थे, सभाचन्द भी कहते थे अर्थात मिनवादी [illegible] था एवम वादी का चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरा [illegible] सुभाषचन्द के नाम से बने है तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम सभाचन्द [illegible] सभाचन्द नाम दर्ज होने से मिनवादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता [illegible] तथा लोन आदि लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। आदि—आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सभाचन्द उर्फ सुभाषचन्द दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश होकर शामिल पत्रावली हुआ। मुताबिक जवाब में वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये जवाब पेश किया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लाठीवास ब्लॉक पटौदी (गुरूग्राम, हरि0) प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी, फॉर्म–10 (हरियाणा) प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र सुभाषचन्द फोटोप्रति, आधार कार्ड फोटोप्रति एवम नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–4 लगायत 11, परिवार राशन कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट, एसबीआई बैंक की पासबुक की फोटोप्रतियां पेश की एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सुरेश पी डब्ल्यू–1, दयाराम पी डब्ल्यू–2, प्रहलाद सिंह पी डब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये उक्त विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे सभाचन्द नाम के अंकन को सभाचन्द उर्फ सुभाषचन्द दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के आराजी खसरा नंबर 710/0.44, 1798/962/1.33, 967/0.76, 703/0.51, 704/0.54, 707/0.39, 708/0.52, 959/0.15, 968/0.70, 969/0.44, 973/0.38, 972/0.43, 142/0.33, 712/0.27, 980/0.16, 982/0.09 है0 वाके ग्राम बासनी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत रिकॉर्ड में हो रहे सभाचन्द नाम के बजाय सभाचन्द उर्फ सुभाषचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो एवं उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में नामों का अंकन किया जावे।

12/4/21

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 690/20 दायरा दिनांक :—29.10.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 12.04.2021

1. सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द पुत्र श्री चिरंजीलाल (मृतक)
   1/1 नरेश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द
   1/2 सुरेश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द
   1/3 श्रीमती सुरजो पत्नी सुभाषचन्द उर्फ सभाचन्द जातियान जाट निवासी राठीवास तहसील व जिला गुरूग्राम हरियाणा।

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जिला अलवर, राजस्थान

....
प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री गंगाराम पटेल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के आराजी खसरा नंबर 710/0.44, 1798/962/1.33, 967/0.76, 703/0.51, 704/0.54, 707/0.39, 708/0.52, 959/0.15, 968/0.70, 969/0.44, 973/0.38, 972/0.43, 142/0.33, 712/0.27, 980/0.16, 982/0.09 है0 वाके ग्राम बासनी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत रिकॉर्ड में हो रहे सभाचन्द नाम के बजाय सभाचन्द उर्फ सुभाषचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखा [illegible] द हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0